<u>न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।</u>
<u>जमानत आवेदन संख्या–53 / 2026</u>
<u>तरियानी थाना कांड संख्या–87 / 2026.</u>
सरकार बनाम् सोमारू यादव
अंतर्गत धारा – 303 (2), 317 (2), 3 (5) of BNS & 11 (1) Prevention of Cruelty to Animal Act

<u>सी.एन.आर.नं0– BRSO0-1001055-2026</u>

1. सोमारू यादव, पिता– छैदर यादव, उम्र– 30 वर्ष,
साकिन– लठिया सहजैनी, थाना–जमालपुर, जिला– मिर्जापुर, राज्य– उत्तर प्रदेश
..........................आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार ....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता –श्री प्रभात कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितः दीपक कुमार,
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
13.05.2026

<u>दिनांक–13.05.2026</u>

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सोमारू यादव जिनका मामला तरियानी थाना कांड संख्या–87 / 2026 अंतर्गत धारा–303 (2), 317 (2), 3 (5) of BNS & 11 (1) Prevention of Cruelty to Animal Act में कांड दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्व विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है प्र0पु0अ0नि0 उमेश कुमार वर्तमान में तरियानी थाना में पदस्थापित है। दिनांक 24.03.2026 को सशस्त्र बल के महिला सिपाही 256 आरती कुमारी एवं महिला सिपाही 412 खुश्बु कुमारी व पुलिस वाहन के साथ थाना से प्रस्थान किये थे। दिनांक 25.03.2026 समय करीब 00:30 बजे नरवारा चौक के पास भ्रमणशील थे तो श्रीमान् के द्वारा दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया गया कि ग्राम कोलसो मोतनाजे के चौ0 09 / 09 विनोद पासवान के द्वारा सूचना दिया गया है कि '' एक कार से कुछ व्यक्ति गांव के बकरी एवं बोका का चोरी कर रहे है। जिसे गॉव के लोगों के द्वारा पकड़ने का कोशिश किया गया तो उक्त कार से 03 व्यक्ति भाग गये तथा एक व्यक्ति जो कार चला रहा था पकड़ा गया। गांव के लोगों के द्वारा उक्त स्वीफट डिजायर रजि0 नं0 UP70BF0402 को तोड़–फोड़ किया गया है

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
जमानत आवेदन संख्या–53 / 2026
तरियानी थाना कांड संख्या–87 / 2026.
सरकार बनाम् सोमारू यादव
अंतर्गत धारा – 303 (2), 317 (2), 3 (5) of BNS & 11 (1) Prevention of Cruelty to Animal Act

सी.एन.आर.नं0– BRSO0-1001055-2026

तथा उक्त व्यक्ति को भी दो–चार थप्पड़ पीटा गया था। चौकीदार द्वारा गांव के लोगों को समझाया–बुझाया गया तो वे लोग पीछे हट गये तथा उक्त व्यक्ति को चौकीदा के हवाले कर दिये है, उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम सोमारू यादव पिता– छैदर यादव, सा0– लठिया सहैजनी, थाना–जमालपुर, जिला–मिर्जापुर राज्य उत्तर प्रदेश बताया। भागने वाले साथियों के बारे में पूछा तो बताया कि 1. चंदन बिंद पे0 जीतु बिंद सा0 लौहराजपुर, थाना– जमालपुर, जिला–मिर्जापुर मो0 7390004175 2. मो0 सलीम पे0 नामालमुम, साकिन– पपीहटा, जिला– मिर्जापुर 3. सलीम का मामा था जिसका नाम नहीं पता बताया। गांव वालों के समाने ही उक्त स्वीफट डिजायर रजि0 नं0 UP70BF0402 का तलाशी लिया गया तो उक्त गाड़ी से 06 बोका बरामद हुआ है '' उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कारवाई में प्रस्थान करने हेतु श्रीमान् के द्वारा निर्देशित किया गया। जिसके आधार पर ग्राम– कोलसो मोतनाजे पहुंचे तो ग्राम कोलसो मोतनाजे में चौ0 09 / 09 विनोद पासवान को पकड़ाये व्यक्ति सोमारू यादव, स्वीफट डिजायर रजि0 नं0 UP70BF0402 चार बोका (Male Goat) एवं अन्य ग्रामीणों को उपस्थित पाया। चूंकि बरामद सभी 06 बोका (Male Goat) थे जो गांव में आवारा घूमते है उनको चौ0 09 / 09 विनोद पासवान के संरक्षण में दे दिया गया है एवं उक्त स्वीफट डिजायर रजि0 नं0 UP70BF0402 को जप्ती सूची तैयार कर विधिवत् जप्त किया। उक्त वाहन चलने योग्य नहीं था। इसलिए उसे सुरक्षा हेतु चौ0 09 / 09 विनोद पासवान को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक की ओर से दिनांक 09.04.2026 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया जिसे सुनवाई के बाद दिनांक 10.04.2026 को खारिज कर दिया गया तब आवेदक श्रीमान् के समक्ष आये हैं उसके अलावा दूसरा कोई भी जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च्य न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं है। आवेदक का कोई आपाराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 25.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक पर लगाये गये सभी आरोप गलत झूठ व बनावटी है। आवेदक को व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठा फंसा दिया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक देकुली धाम से कोलसो मोतनाजे के रास्ते लौट रहा था कि रास्ते में साईड लेने हेतु बकझक हुई तब आवेदक ने पकड़ कर उस पर झूठा मुकदमा कर दिया गया आवेदक के पास से किसी भी तरह का बकरी या बोका बरामद नहीं है। प्राथमिकी में ही दर्ज है कि

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
जमानत आवेदन संख्या–53/2026
तरियानी थाना कांड संख्या–87/2026.
सरकार बनाम् सोमारू यादव
अंतर्गत धारा – 303 (2), 317 (2), 3 (5) of BNS & 11 (1) Prevention of Cruelty to Animal Act

सी.एन.आर.नं0– BRSO0-1001055-2026

जानवर किसी भी व्यक्ति का नहीं था एवं गॉव में अवारा घूमता था। आवेदक श्रीमान् के आदेशानुसार बंध–पत्र देने को तैयार है। श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक को बंध–पत्र पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा करें।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त सोमारू यादव को प्राथमिकी के नामित अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर रात्रि में जानवर चोरी करते हुए पकड़े जाने एवं बोका को स्वीफट डिजायर गाड़ी में रखकर भाग जाने का आरोप है। वाद दैनिकी के कंडिका 08 में बोका को छोड़ देने का उल्लेख किया गया है, वाद दैनिकी के कंडिका 37 में आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है का उल्लेख किया गया है। आवेदक दिनांक 25.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्राथमिकी में यह अंकित है कि जानवर गॉव के किसी भी व्यक्ति का नहीं था।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त के कारावधि एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त 1. सोमारू यादव को मो0–5,000/–(पॉच हजार रूपया) के एक समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर अंतर्गत धारा–480(3) बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,
ह0/–
प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
13.05.2026